

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

संशोधन प्रार्थना पत्र 29/2014/अजमेर
मैसर्स सुन्दरसन मार्बल एण्ड सप्लायर्स
किशनगढ

अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट तृतीय, वृत किशनगढ

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री ओ.पी.माहेश्वरी

अभिभाषक

श्री जमील जई

उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 21.11.2016

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

यह संशोधन प्रार्थना पत्र राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत अपीलार्थी की ओर से राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 663/2010/अजमेर में पारित निर्णय 19.02.2013 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट तृतीय, वृत किशनगढ (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने कर संग्रहण केन्द्र (चेक पोस्ट) से प्राप्त रेकार्ड में चेक पोस्ट पर जमा करायी गयी राशि की सूची अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण के समय प्रस्तुत की गई चेक पोस्ट पर जमा राशि का मिलाने करने पर चेक पोस्ट पर जमा राशि अधिक पायी गयी, अतः अन्तर्राज्यीय विक्रय संब्यवहार में कर योग्य 12 प्रतिशत की बिक्री रू. 41,156/- तथा 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य बिक्री रू. 8,39,566/-की घोषणा नहीं पाये जाने पर राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 37, 58, 68 एवं 65 सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब को सन्तोषप्रद नहीं होना मानकर कर रू. 39,262/- आरोपित किया तथा रू. 8,39,566/-की बिक्री 'सी' फार्म से समर्थित नहीं होने के कारण अन्तर कर रू. 82,277/- आरोपित किया। उक्त कर समय पर जमा नहीं होने से ब्याज रू. 41,035/- आरोपित किया गया। चेक पोस्ट पर पायी गयी अधिक बिक्री पर करापवंचन मानते हुए अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति रू. 78,524/- तथा बहियों पेश नहीं करने के कारण अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत शास्ति रू. 2000/- आरोपित कर कुल रू. 2,03,836/-की मांग सृजित की। उक्त सृजित मांग के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने पर, उन्होंने आदेश दिनांक 29.01.2010 पारित कर अपील अस्वीकार करके आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों को

यथावत रखा । अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.1.2010 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड के स्तर पर उठाये गये बिन्दुओं पर विचार करने के पश्चात ने कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 19.02.2013 पारित कर प्रकरण अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसमें संशोधन हेतु यह संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि निर्णय दिनांक 19.02.2013 में अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत रि-ओपन कर पुनः आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये हैं, क्योंकि रि-ओपन पांच वर्ष की अवधि के भीतर ही किया जा सकता है, जबकि हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.01.2006 को पारित किया गया । उन्होंने अपने उक्त कथन के समर्थन में जयपुर उद्योग लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, अजमेर (1979) 44 एस टी सी 456(राज.) को उद्धृत किया। उनका तर्क है कि पांच वर्ष की अवधि के पश्चात कर निर्धारण को रिओपन करने के निर्देश देना अविधिक है। उनके कथनानुसार निर्णय दिनांक 19.02.2013 रिकार्ड से परिलक्षित होने से संशोधन करने योग्य है।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि कर निर्धारण आदेश पारित करने की तिथि से सम्बन्धि कर निर्धारण अवधि के पांच वर्ष की अवधि के पश्चात वाद को किसी भी कारण से रिओपन नहीं किया जा सकता है, सही नहीं है। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 30(3) के प्रावधानों के अनुसार कर बोर्ड द्वारा किये गये निर्णय के फलस्वरूप उक्त अवधि की अनिवार्यता लागू नहीं होती है। उनका कथन है कि कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा चेतन मस्तिष्क का उपयोग करते हुए निर्णय दिनांक 19.02.2013 पारित किया है, जिसमें रिकार्ड से कोई भूल परिलक्षित नहीं होती है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, निर्णय दिनांक 19.02.2013 तथा अधिनियम की धारा 30 पर मनन किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का कथन है कि कर निर्धारण आदेश पारित करने की तिथि से सम्बन्धि कर निर्धारण अवधि के पांच वर्ष की अवधि के पश्चात, वाद का रिओपन नहीं किया जा सकता है। इस बिन्दु के निर्णय हेतु अधिनियम की धारा 30 का अध्ययन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

"30- Escaped assessment.(1) An assessment-(a) of a person who is liable to get registration but has not got himself registered; or



(b) in which, for any reason, the levy of tax or any fee or sum payable under the Act has been escaped wholly or in part; or\

(c) Wherein tax has been wholly or in part unassessed or under-assessed in any way or under any circumstances,

shall be deemed an escaped assessment and the assessing authority shall on the basis of the material on record or after making such enquiry as it may consider necessary, complete such assessment within the time limit provided in sub-section (3).

Explanation.-The assessment under this section shall not include that part of business which has already been assessed under section 29.

(2) Where the Commissioner or a Deputy Commissioner (Administration) has reason to believe that a dealer has escaped assessment to tax in any manner provided in sub-section (1), he may at any time, subject to the time limit specified in sub-section (3), either direct the assessing authority to assess the tax or the fee or other sum or himself proceed to assess the same.

(3) No notice under sub-sections (1) and (2) shall be issued in respect of any escaped assessment for any year after the expiry of five years and no assessment under the said sub-sections shall be completed after the expiry of eight years, from the end of the relevant assessment year; but this limitation shall not be applicable to any assessment to be made in consequence of, or to give effect to, any finding or direction contained in order passed by an appellate authority or the Tax Board or a competent court.

उक्त धारा 30 की उप धारा (3) के पठन से स्पष्ट है कि सक्षम न्यायालय (competent court.) द्वारा यदि कोई निर्देश दिये जाते हैं तो वे पांच वर्ष की अवधि के लिए बाध्यकारी नहीं होंगे। उदाहरण स्वरूप, यदि वर्ष 2005-06 की अवधि कर निर्धारण आदेश पारित करने के पश्चात, उसके विरुद्ध व्यवहारी अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करता है और उसका निस्तारण वर्ष 2010 में होता है और अपीलीय अधिकारी के आदेश से क्षुब्ध होकर उसके विरुद्ध कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत करता है और कर बोर्ड द्वारा उक्त अपील का निस्तारण वर्ष 2013 में किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं तो उस पर पांच वर्ष की अवधि प्रभावशील नहीं होती है क्योंकि उक्त धारा में स्पष्ट रूप से "but this limitation shall not be applicable to any assessment to be made in consequence of, or to give effect to, any finding or direction contained in order passed by an appellate authority or the Tax Board or a competent court". अंकित है। इसलिए अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का कथन कि पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात ऐसे प्रश्यकरण को पुनः रीओपन करने के निर्देश देना अविधिक




है, विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उद्धृत किये गये निम्न न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक नहीं है :-

1. मैसर्स एन.एम.एक्पोट्स बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, गंगानगर (2016) 25वैट रिपार्टर पेज 94
2. स्टेट आफ हरियाणा बनाम मारुति उद्योग (2001) 124 एस टी सी 285
3. (1984) टी बी आर आरबीडीबी 288 एवं 42 एस टी सी 418 (सीएसी)
4. (2002) 28 टी डबल्यू 354
5. (1997) 83 एस टी सी पेज 497 (मद्रास)

प्रकरण के उपरोक्त विवेचन तथ्यों, विधिक प्रावधानों के आधार पर कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.02.2013 में रिकार्ड से कोई भूल परिलक्षित नहीं होती है, इसलिए अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत उक्त निर्णय संशोधनीय नहीं होने से अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत किया गया संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य